झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची।

पत्र सं0:–03/त0वि0–04/17 त0शि0– 16/बजट /रॉची, दिनांक:– 30/01/2023

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची के पी0एल0 खाता में राशि भुगतान हेतु रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) मात्र की आंवटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक–245 दिनांक–30.03.2022 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 19/योजना दिनांक 20.01.2023 के आलोक में राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु पी0एल0 खाता में राशि भुगतान हेतु रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

02. उक्त राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203 तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उपशीर्ष–A4–झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान इकाई में उपबंधित राशि रू0 7,40,00,000/– (रू0 सात करोड़ चालीस लाख) के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S220300112A4010679**)

03. उक्त राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–A4–झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान इकाई में उपबंधित राशि रू0 2,60,00,000/– (रू0 दो करोड़ साठ लाख) के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S220300796A4010679**)

04. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक–निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। जो प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 85 दिनांक 23.10.2017 के आलोक में राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए जमा करायेगे।

05. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार डोरण्डा रॉची से की जायेगी।

06. राशि की निकासी एवं व्ययन, वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। इसके साथ ही कुलपति झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2011 में निरूपित नियमों के आलोक में ही राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेगें।

07. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय के कुलपति सुनिश्चित करेगें।

08. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक COBT के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय के निरूपित नियमों को पूर्णतः पालन करते हुए स्वीकृत राशि नियमानुसार व्यय की जाय।

09. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 1285 है।

10. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष 8448 से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जायेगी।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जाय, इसके लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगें।

13. उपलब्ध कराये गए राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के न्युनतम आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर करने के पश्चात ही अन्य के लिए किया जायेगा।

14. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची का होगा।

विश्वासभाजन

30/1/23

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 03/त0वि0–04/17 त0शि0– 16/बजट /राँची, दिनांकः– 30/01/2023
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/23

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 03/त0वि0–04/17 त0शि0 - 16/बजट /राँची, दिनांकः– 30/01/2023
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/23

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)	(अजय कुमार सिंह)	(अभय कुमार सिन्हा)
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	सरकार के अपर सचिव।